बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या व.सं./70/2022– 743

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
--सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सुपौल।
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा।

पटना 14, दिनांक– 19/10/2023

विषय – भारतमाला परियोजना के तहत मधुबनी जिलान्तर्गत उमागाँव--कलुआही (0.00–21.610 कि०मी० NH-227L) पथ, साहरघाट--रहिका (0.00–26.135 कि०मी० NH-227J) पथ एवं विदेश्वर स्थान--भेजा (0.00–25.915 कि०मी० NH-227A) पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 39.1096 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर पृच्छा अनुपालन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची का पत्रांक FP/BR/Road/154991/2022/1467 दिनांक 04.10.2023 (छायाप्रति संलग्न)।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारतमाला परियोजना के तहत मधुबनी जिलान्तर्गत उमागाँव–कलुआही (0.00–21.610 कि०मी० NH-227L) पथ, साहरघाट–रहिका (0.00–26.135 कि०मी० NH-227J) पथ एवं विदेश्वर स्थान--भेजा (0.00–25.915 कि०मी० NH-227A) पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु संबंधित प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा चार बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी है जो प्रसंगाधीन पत्र (छायाप्रति संलग्न) में स्वतः स्पष्ट है।

अतः आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा की गयी पृच्छाओं का निराकरण प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
19/10/23
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह--नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./70/2022– 743 दिनांक 19/10/2023

प्रतिलिपि – वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/10/23
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन नं०–08986153143
ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com

1927677/2023/FC(ECZ)
1754479/2023

भारत सरकार / Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office
पता: द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हरमू चौक, राँची, झारखण्ड - 834002
Add: 2nd Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002
Tel: 0651-2410002, 2410007; E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in

सत्यमेव जयते

प्रकृतिः रक्षति रक्षिता
Nature Protects if She is Protected

संख्या: एफ.पी/बी.आर./रोड/154991/2022/1467 दिनांक: 03.10.2023

सेवा में,

**प्रधान सचिव/अति० मुख्य सचिव**
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बिहार सरकार, सिंचाई भवन
पटना – 800015.

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना
प्राप्ति संख्या 895
दिनांक 05/10/2023
(कैम्प एवं वन संरक्षण संभाग)

विषय :- भारतमला परियोजना के तहत मधुबनी जिलान्तर्गत उमागाँव-कलुआही (0.00-21.610 कि०मी० NH-227L) पथ, साहरघाट-रहिका (0.00-26.135 कि०मी० NH-227J) पथ एवं विदेश्वर स्थाना-भेजा (0.00-25.915 कि०मी० NH-527A) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 39.1096 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपरोक्त विषयक आपका पत्र संख्या-वन भूमि-88/2022-25/प०व०ज०प० दिनांक 05.01.2023 और अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह–नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.), बिहार के के पत्र संख्या व०सं०/70/2022-632 दिनांक 05.09.2023 के सम्बन्ध में अवगत करना है कि विषयान्तर्गत वर्णित परियोजना प्रस्ताव को पुनः अग्रेतर विचारार्थ क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC), क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के 67 वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें समीक्षा के उपरान्त समिति ने निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी चाही है एवं उसके सापेक्ष दस्तावेजों को प्रस्ताव के ऑनलाइन आवेदन में अपलोड कराने की आवश्यकता पर बल दिया है :

i. The committee examined the KML file of the proposal and was surprised to find that the road side protected forest which is proposed for diversion is highly infested with encroachment as several houses, permanent structures, habitations are visible on the satellite imagery of the area. Therefore, the committee asked SFD, Bihar to carry out a joint inspection by the concerned DFO & PD, PIU, NHAI to explain the cause of encroachment and to define the fool-proof process of encroachment eviction. DFO also needs to explain the action/effort taken by him/her against the encroachment.
ii. The committee also wanted to know if there is any R&R plan for the intended eviction. If yes, then R & R plan may also submit to this office.
iii. This proposal also involves translocation of a large number of roadside trees. Committee reiterated the demand it has been raising from SFD and NHAI for status report on the translocated trees in several previous projects of NHAI. Committee expressed its great displeasure on the fact that both SFD and NHAI have been disregarding the authority of

translocation report of committee for more than nine months now. So, once again, detailed report related to earlier approved NHAI project in which large number of trees proposed for translocation may be provided to this office to check viability of translocation.

iv. कमेटी ने राज्य सरकार से यह भी अनुग्रह किया है कि जब तक बिंदु संख्या(iii) में वांछित प्रतिवेदन प्रयोक्यता अभिकरण,NHAI, द्वारा प्रस्तुत न कर दिया जाये, इनसे संबंधित किसी भी वन-प्रत्यावर्तन प्रस्ताव को केंद्र सरकार को अग्रेषित न किया जाये।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेज / जानकारी को प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु ऑनलाइन में अपलोड कराते हुए प्रेषित किया जाय।

विश्वासभाजन

Signed by Shashi Shankar Pathak
Date: 04-10-2023 10:57:01
Reason: Approved

(शशि शंकर)
सहायक वन महानिरीक्षक

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक- सह – नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.),पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, अरण्य भवन, शहीद पीर अलीखां मार्ग, पटना-800014.



Generated from eOffice by ANAND PRAKASH, TO(AP)-FC-ECZ, TECHNICAL OFFICER, RO-ECZ on 04/10/2023 01:53 PM